रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 1989/चैत्र 16, 1911
No. 57] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1989/CHAITRA 16, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 113—आई टी सी (पीएन)/88—91

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1989

विषय:— बाहरी सहायता से वित्त पोषित आयात के संबंध में सीधे अदायगी/वचनबद्धता पत्र प्रक्रिया के अन्तर्गत भारतीय आयातकों से रुपया निक्षेपों की वसूली के लिए विनिमय की संयुक्त दर में संशोधन।

फा.सं. आईपीसी/23/27/85—88/77:—विदेशी ऋण/क्रेडिट/अनुदानों के अन्तर्गत जारी आयात लाइसेंसों पर लागू लाइसेंसिंग शर्तों में इस आशय का एक खंड होता है कि जिन मामलों में सीधी अदायगी/वचनबद्धता पत्र प्रक्रिया को अपनाया जाता है और आयातित माल तथा सेवाओं की लागत का भुगतान सीधे विदेशी ऋण/क्रेडिट/अनुदान निधियों में से किया जाता है उनमें आयातकों के बैंकरों द्वारा दस्तावेजों के परक्राम्य सैट की प्राप्ति की तारीख के 10 दिन के अन्दर भारत सरकार के लेखे में विनिमय की संयुक्त दर के आधार पर गणना करके माल के रूपए में मूल्य को जमा करना होगा। इस संबंध में, वाणिज्य मंत्रालय की 17 जनवरी, 1976 की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें अलग-अलग विदेशी मुद्राओं के विनिमय की संयुक्त दर का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार पौंड स्टर्लिंग के आधार ऐसी पर संयुक्त दरों की गणना की जाती है। 1-1-1984 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफ ई डी ए आई) को पौंड स्टर्लिंग की बी.सी. विक्रय दर के बारे में अधिसूचित करता था और एसोसिएशन विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों को इस बारे में अधिसूचित किया करती थी। इससे विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत बैंकरों को उक्त लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार बाहरी सहायता से वित्त

पोषित आयात के लिए सरकारी लेखे में रुपया जमा करने के लिए विनिमय की संयुक्त दर को गणना करने में सहायता मिलती थी लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1984 से भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफ ई डी एआई) को पौंड स्टर्लिंग के लिए बी.सी. विक्रय दर के बारे में अधिसूचित करना बन्द कर दिया है। परिणामस्वरूप भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों द्वारा अपनायी जाने के लिए किसी दर को अधिसूचित नहीं करता और आयातकों के बैंक अपनी बी.सी. पौंड स्टर्लिंग दर अपना कर विनिमय की संयुक्त दर को गणना कर रहे हैं। सरकार द्वारा संयुक्त दर की गणना करने के लिए पौंड स्टर्लिंग के लिए भारतीय स्टेट बैंक बी.सी. विक्रय दर को अपनाया जा रहा है। इस कारण रुपये निक्षेप की वसूली के लिए विनिमय की संयुक्त दर को अपनाने के बारे में एकरूपता नहीं है।

2. सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई बी.सी. पौंड स्टर्लिंग दर के माध्यम से संयुक्त दर की गणना करने की प्रणाली पर नए सिरे से विचार किया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि बाहरी सहायता के अधिकांश सौदे प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अधीन आते हैं जिसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की खरीद दर के आधार पर रुपये में धनराशि को गणना की जाती है। यह निश्चय किया गया है कि अब से आगे आयातकों से वसूल करने के लिए सीधे भुगतान/बाहरी सहायता को वचनबद्धता पत्र क्रियाविधि के अन्तर्गत आने वाले आयात की लागत के संबंध में रुपया निक्षेपों की संगणना भारतीय रिजर्व बैंक की खरीद दर और उसमें 3 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर उसके संदर्भ में की जाएगी। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक की दरें आयातक बैंक को अधिसूचित नहीं की जाती है, इसलिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :—

(1) आयातक बाहरी सहायता में से संभरकों को भुगतान से संबंधित सौदों की तारीख के संबंध में अपने बैंकों द्वारा अधिसूचित विनिमय की बी.सी. विक्रय दर का अनुसरण कर सकते हैं।

(2) ऐसी दरों में 1 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ी जाए और इस प्रकार प्राप्त धनराशि को सगत लाइसेंसिंग शर्तों और अन्य सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार बाहरी ऋण/क्रेडिट/अनुदान के अन्तर्गत विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के संदर्भ में और इसके साथ देर से जमा की गई धनराशि, यदि कोई हो, के लिए निर्धारित प्रतिशतता पर ब्याज आयातक द्वारा नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक के लेखे में आरम्भ में जमा कराया जाए।

(3) आयातक द्वारा उपर्युक्त (2) में की गई गणनानुसार निक्षेप किया गया रुपया बाहरी सहायता के अन्तर्गत ऐसे आयातों के लिए संभरकों को की जाने वाली अदायगियों को पूरा करेगा। नियंत्रक, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा सरकारी खाते में ऐसे भुगतानों की गिनती के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय क्रय दर को अपनायगा और संयुक्त दर वह होगी जो भारतीय रिजर्व बैंक की दर में 3 प्रतिशत जोड़ने के उपरान्त प्राप्त होगी। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की दर को चार दशमलव भिन्न तक रखा जाएगा। इस प्रकार से आने वाली राशि रुपया निक्षेप के लिए आयातक से वसूल की जाने वाली अन्तिम राशि होगी। यदि उपर्युक्त (2) के अनुसार आयातक द्वारा पहले ही निक्षेप किए गए रुपये के संबंध में कोई कमी-बेशी ध्यान में आती है तो इस कमी-बेशी के लिए आयातक से इसके लिए कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा।

तथापि 10-8-1983 की सार्वजनिक सूचना सं. 31–आईटीसी/(पीएन)/83 की शर्तानुसार निक्षेपों में विलम्ब के लिए ब्याज की वसूली करना जारी रहेगा।

(4) अब से भारतीय रिजर्व बैंक की क्रय दर को बाहरी सहायता की गणना हेतु सरकारी लेखा पुस्तकों में भी अपनाया जाएगा, और

(5) इस प्रकार से उपर्युक्त (2) के अनुसार आयातक द्वारा या उपर्युक्त (3) के अनुसार नियंत्रक, सहायता लेखा व लेखा परीक्षा द्वारा निकाली गई राशियों को अगले उच्च रुपये के गुणक में आंका जाएगा।

3. सभी आयातक जिनके पास आयात लाइसेंस है विनिमय की संयुक्त दर निर्धारित करने की विधि में उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक नोट करलें और उपर्युक्त ढंग से अपने बैंकों के माध्यम से आवश्यक रुपये के निक्षेपों को सुनिश्चित करें।

4. विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित व्यवस्था के संबंध में उनकी जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु अलग से सूचित किया जा रहा है।

5. संशोधित प्रक्रिया जुलाई, 1, 1989 से प्रभावी होगी।

राजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 113-ITC(PN)/88-91

New Delhi, the 6th April, 1989

Subject : Revision of Composite Rates of Exchange to be adopted for the recovery of rupee deposits from Indian importers under Direct payments Letter of Commitment procedure in respect of imports financed out of external assistance.

File No. IPC/23/37/85-88/77.—Licensing conditions applicable to the import licences issued under foreign loans/credits/grants contain a clause to the effect that the rupee value of the goods calculated at the composite rate of exchange should be deposited to the account of the Government of India within 10 days from the date of receipt of negotiable set of documents by the importer's bankers in cases where Direct payment/Letter of Commitment procedure is followed, and the cost of imported goods and services is paid for directly out of the foreign loans/credits/grants funds. In this connection, attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17th January, 1976 which prescribes the method of calculation of composite rates of exchange of individual foreign currencies by which such composite rates are worked out through the pound Sterling. Prior to 1-1-1984 the RBI use to notify the B.C. Selling Rate of Pound Sterling to the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI), which the letter used to notify to the authorised dealers in foreign exchange. This helped the authorised dealers in foreign exchange to work out the composite rate of exchange for arriving at rupee amounts to be deposited into Government account for aid financed imports in terms of the said licensing conditions. However, the RBI discontinued notification of B.C. Selling rate for Pound Sterling to the FEDAI from January, 1984. As a result, FEDAI no longer notifies any rate for adoption by the authorised dealers in foreign exchange and the importers banks are working out the composite rates by adopting their own B.C. Pound Sterling rate. The SBI B.C. Selling rate for Pound Sterling is being adopted for calculating composite rate by the Government. On account of this, there has been no uniformity in the adoption of composite rate of exchange for recovery of rupee deposits.

2. The methodology of working the composite rates through B.C. Pound Sterling rate adopted by SBI has been examined *de nove* by the Government. In view of the fact that bulk of external aid transactions falls under Reimbursement procedures whereunder the rupee amount is worked out on the basis of the RBI buying rates it has been decided that henceforth the rupee deposits in respect of the cost of importers covered by Direct payment/ Letter of Commitment procedures of external assistance to be recovered from importers will be calculated with reference to RBI buying rates plus a margin of 3% thereon. Since the RBI rates are not notified to the importers banks, the procedure outlined below shall be followed :

(i) the importers may adopt the B.C. Selling rates of exchange notified by their bankers related to the date of transactions involving payments to suppliers out of external aid.

(ii) A margin of 1% may be added to such rates and the rupee amount thus arrived at may be deposited tentatively by the importers to the account of the Controller of Aid Accounts and Audit with reference to the payments made to the foreign supplier under external loan/credit/grant in terms of the relevant licensing conditions and other Public Notices together with interest at prescribed percentages for belated rupee deposits, if any.

(iii) The rupee deposits as calculated at (ii) above made by the importers will cover the payment made to the suppliers for such imports under the external aid. The Controller of Aid Accounts and Audit will adopt the RBI buying rate of exchange for accountal of such transactions in Government account and the composite rate will be what is arrived at by adding 3% to the RBI rate. The RBI rate for this purpose will be upto four decimal points. The amount thus arrived at, will represent the final rupee deposits to be recovered from the importer. If any shortfall is noticed in the rupee deposit already made by the importer as at (ii) above, no interest on such shortfall is recoverable from the importer.

However, the recovery of interest for delayed deposits in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-1983 will continue to be enforced.

(iv) Henceforth, the RBI buying rates will be adopted for accounting external aid in Government books; and

(v) The amounts thus worked out by the importer *vide* (ii) above or by CAA&A *vide* (iii) above will be rounded off to the next higher rupee.

3. All the importers holding import licences should note the above changes in the method of determination of composite rate of exchange carefully and ensure that the necessary rupee deposits are made by them through their banks in the above manner.

4. The authorised dealers in foreign exchange are also being advised separately by the RBI about the revised arrangement for their information and guidance.

5. The revised procedure will take effect from July 1, 1989.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989